उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 61 – विनियम एवं का0वि0नी0 / पाकालि / 2018– 7–विनियम / 17 दिनांक 29 जनवरी, 2018

सचिव, विद्युत सेवा आयोग
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

निदेशक मण्डल की आज्ञा का अनुपालन

विषय :- NIELIT / DOEACC द्वारा निर्गत CCC प्रमाण–पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की दिनांक 17.01.2018 को सम्पन्न 136(08)वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपनी टिप्पणी सं0 शून्य दिनांक 30.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से **NIELIT / DOEACC** द्वारा निर्गत **CCC** प्रमाण–पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में क्रमशः कार्यालय ज्ञाप सं0 354 एवं 355–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 2017–7–विनियम / 17 दिनांक 19.12. 2017 द्वारा गठित समिति एवं उक्त समिति की दिनांक 28.12.2017 को आहूत बैठक में दी गई **संस्तुति को**, प्रबन्ध निदेशक महोदया के निर्देशानुसार निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था।

2. प्रकरण निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें निदेशक मण्डल की दिनांक 17.01.2018 को सम्पन्न 136(08)वीं बैठक में **NIELIT / DOEACC** संस्थान द्वारा निर्गत **CCC** प्रमाण–पत्र के कोर्स के समतुल्य अन्य संस्थानों के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्रों के पाठ्यक्रम की समतुल्यता / वैधता सुनिश्चित् किये जाने के संबंध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :–

" निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) ने अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं0 41750 / 2015 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.10.2017 के अनुपालन में निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में **NIELIT / DOEACC** संस्थान द्वारा निर्गत **CCC** प्रमाण–पत्र के कोर्स के समतुल्य अन्य संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्रों की समतुल्यता / वैधता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 2 / 2016 / 3 / 1 / 2015–का–2 दिनांक 03.05.2016 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही करने की संस्तुति दी।

निदेशक मण्डल ने उपरोक्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि **CCC** की समकक्षता के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 2 / 2016 / 3 / 1 / 2015–का–2 दिनांक 03.05.2016 के पश्चात् निर्गत नवीन आदेश, यदि कोई हों, का भी समावेश करते हुए कार्यवाही की जाये। "

3. अतः निदेशक मण्डल के उपरोक्त निर्णय / कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में अग्रेतर / आवश्यक कार्यवाही तद्नुसार सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

/

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (विनियम एवं का0वि0नी0)

(क्रमशः....... 2)

(pb)

सं0 61 (I)–विनियम एवं का0वि0नी0–29/पाकालि/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4- अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7- अनु सचिव (सचि0प्रशा0–11), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17.01.2018 को सम्पन्न हुई 136(08)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त के अनुपालन में।

9- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (विनियम एवं का0वि0नी0)